सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 07, गुरूवार, *शाके* 1945-अप्रेल 27, 2023 *Vaisakha 07, Thursday , Saka 1945- April 27, 2023*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 20, 2023

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/147:-विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 43 से 48, 50, 55 एवं 56 सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2021 (इसके पश्चात् "मूल विनियम**"** के रूप में संदर्भित) में संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. लघुशीर्षक, प्रयोज्यता तथा प्रारम्भण

(क) ये विनियम, **"राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023"** कहलायेंगे।

(ख) ये विनियम राज्य में मानित अनुज्ञप्तिधारियों सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये प्रयोज्य होंगें।

(ग) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगें।

2. मूल विनियम के विनियम 4 में संशोधन

अ. मूल विनियम के उप-विनियम 4.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगाः

"कनेक्शन जारी करने के लिये खंडित आपूर्ति 11 केवी मेन के विस्तार और स्वतंत्र वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के अधीन रहते हुये 5 किलोवाट तक और 5 किलोवाट से अधिक (उप-विनियम 4.3 में शामिल नहीं) के अधिष्ठापनों के लिये 3 फेज एलटी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकार्य होगी। ऐसे मामलों में, 11 केवी लाइन के विस्तार की लागत, प्रभारों की अनुसूची के अनुसार, आवेदक द्वारा वहन की जायेगी और वितरण ट्रांसफार्मर की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी। हालांकि, कृषि कनेक्शन के अलावा उप-विनियम 4.3 के तहत कवर नहीं किए गए एलटी आपूर्ति के लिए पात्र सभी उपभोक्ताओं को 11 केवी

लाइन और ट्रांसफार्मर की पूरी लागत और अन्य शुल्कों की अनुसूची के अनुसार (अनुसूची- I) भुगतान पर निरंतर आपूर्ति 11 केवी फीडर के माध्यम से दी जा सकती है।

बशर्ते कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3-फेज 24 घंटों की आपूर्ति के लिये, विनियम 4.1 'प्रयोज्य आपूर्ति वोल्टेज' के अनुसार मीटरिंग की जाएगी ।"

आ. मूल विनियम के उप-विनियम 4.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"4.5 20 किलोवाट तक के एकल फेज कनेक्शन का विकल्प

ऐसे कनेक्शन को देने के लिये 11 केवी लाइन के विस्तार (यदि आवश्यक हो) और स्वतंत्र एकल फेज वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के अधीन रहते हुये और 11 केवी लाइन, एकल फेज ट्रांसफार्मर और अन्य प्रभारों की प्रभार की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार वसूली द्वारा कृषि श्रेणी के सिवाय सभी श्रेणियों को उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां निरन्तर 3 फेज आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, 5 किवा से अधिक और 10 किलोवाट सम्बद्ध भार तक एकल फेज एलटी आपूर्ति का विकल्प उपलब्ध होगा।"

बशर्ते कि मोबाइल टॉवर के अधिष्ठापन के लिये 5 किवा से अधिक और 20 किलोवाट सम्बद्ध भार तक के ऐसे कनेक्शन के लिये एकल फेज एलटी आपूर्ति उपलब्ध होगी।"

इ. मूल विनियम के उप-विनियम 4.6 के नीचे निम्नानुसार परन्तुक को जोड़ा जायेगा :

"बशर्ते कि अनुरोध पर, नये पीएचईडी कनेक्शनों के लिये, 500 केवीए अनुबंध मांग से कम पर भी 33 केवी आपूर्ति अनुज्ञात की जायेगी।"

3. मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन

अ. उप-विनियम 6.1 (घ) के नीचे निम्नानुसार उप-विनियम 6.1 (ङ) जोड़ा जायेगा :

"6.1 (ङ) एक ही परिसर में और एक ही नाम में एक से अधिक औद्योगिक/अघरेलू कनेक्शन अनुज्ञात नहीं किये जायेगे। एक से अधिक कनेक्शन केवल तब ही अनुज्ञात किये जा सकते है जब ये भौतिक रूप से और विद्युतीय रूप से पृथक हो।"

आ. मूल विनियम के उप-विनियम 6.12 (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"उच्च टैरिफ श्रेणी से निम्न टैरिफ श्रेणी में या निम्न टैरिफ श्रेणी से उच्च टैरिफ श्रेणी में रूपान्तरण की अनुमति दी जायेगी।"

4. मूल विनियम के विनियम 7 में संशोधन

अ. मूल विनियम के उप-विनियम 7.4 (क) के नीचे निम्नानुसार परन्तुक को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते कि यदि दूरी 2 किमी से कम है, तो एकल फेज कनेक्शन जारी करने के लिये, एलटी लाइन के विस्तार के लिये लम्बाई की सीमा 500 मीटर होगी {विद्यमान ट्रांसफार्मर से त्रिज्यीय(रेडियल)दूरी} और वितरण मेन्स/एलटी आपूर्ति उपभोक्ता के लिये आपूर्ति लाइन के विस्तार के लिये प्रभार अनुसूची- I, 2.2 (क) टिप्पणी (1) के अनुसार वसूल किये जायेगें। जहां आवेदक 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, 11 केवी लाइन का विस्तार किया जायेगा और नये वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन द्वारा कनेक्शन दिया जायेगा। अनुसूची- I के अनुसार, 11 केवी लाइन की लागत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी और वितरण ट्रांसफार्मर की लागत, दोनों ही मामलों में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।"

आ. उप विनियम 7.5 (झ) की विद्यमान टिप्पणी सं. 3 के नीचे निम्नानुसार नयी टिप्पणी सं. 4 जोड़ी जायेगी :

"टिप्पणी-4:

बहुमंजिला इमारतों/फ्लैटों के मामले में उन भूखंडों पर निर्माण किया जाता है, जिन पर शुरू में कम भार माना गया था क्योंकि बहुमंजिला इमारतों/फ्लैटों पर विचार नहीं किया गया था, भले ही उनकी अनुमानित डिजाइन मांग 50 केवीए से कम हो, जहां फ्लैट विकास किया जाता है और कई संस्थाओ को व्यक्तिगत फ्लैट/मंजिल बेचे जा रहे हैं और एक से अधिक कनेक्शन की आवश्यकता है, तो ऐसे कनेक्शन को अनुसूची- I, 2.2 (ड़) के अनुसार भूमितल क्षेत्र के आधार पर प्रभार वसूल कर जारी किया जायेगा। यदि नवनिर्मित भवन की अनुमानित डिजाइन मांग 50 केवीए से अधिक है तो उपरोक्त टिप्पणी-3 के अनुसार कनेक्शन जारी किया जायेगा।"

इ. मूल विनियम के उप-विनियम 7.5 (ड) (xv) के नीचे निम्नलिखित परन्तुक(परन्तुकों) को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते कि रीको औद्योगिक क्षेत्र से परे लाइनों के विस्तार के मामले में, औद्योगिक क्षेत्र से परे एलटी लाइन का विस्तार नहीं किया जायेगा, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न

औद्योगिक कनेक्शन के मामले में मौजूदा लाइन से तकनीकी रूप में व्यवहार्य होने पर इसे केवल 30 मीटर लंबाई की सीमा तक केबल सर्विस लाइन द्वारा ही जारी किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि रीको औद्योगिक क्षेत्र से परे लाइनों के विस्तार के मामलें में, यदि रीको औद्योगिक क्षेत्र की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित औद्योगिक/अघरेलू भार विद्यमान हैं, तो औद्योगिक/अघरेलू भार को पूर्ण करने के लिये औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान 11 केवी लाइन को रीको औद्योगिक क्षेत्र की परिधि से 1 किमी की सीमा तक तकनीकी रूप से व्यवहार्यता के अधीन बढ़ाया जायेगा। यदि 11 केवी लाइन की 1 किमी से अधिक विस्तार की आवश्यकता है तो औद्योगिक क्षेत्र को फीड करने वाले 33/11 केवी सब-स्टेशन से अलग फीडर बिछाया जायेगा। ऐसा कनेक्शन विनियम 4.1 में यथा निर्धारित प्रयोज्य आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार जारी किया जायेगा। लाइन और सब-स्टेशन उपलब्ध कराने की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जायेगी।"

ई. मूल विनियम के उप-विनियम 7.6 के शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"आवासीय कॉलोनियों/ टाउनशिप (उपनगर/बस्ती)/निजी औद्योगिक क्षेत्र की आपूर्ति विकासक द्वारा विकसित की गई है, लेकिन विकासक विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ करने/पूरा करने के लिये तैयार नहीं है।"

उ. मूल विनियम के उप-विनियम 7.6 (ग) के नीचे निम्नानुसार परन्तुक को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते कि निजी औद्योगिक क्षेत्र के मामलें में, जहां विकासक विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ करने/पूरा करने के लिये तैयार नहीं है, व्यक्तिगत अधिभोक्ता को, वास्तविक आधार पर विद्युतीकरण की यथानुपात लागत की वसूली करने के पश्चात् कनेक्शन जारी किया जा सकेगा। भूखण्ड के क्षेत्र पर आधारित आनुपातिक आधार पर प्रभारों की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा प्रभार की अनुसूची में संशोधन के साथ समीक्षा की जायेगी।"

ऊ. मूल विनियम के उप-विनियम 7.7(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"7.7 (क) यदि केवल एक कनेक्शन लिया जाता है, तो एलटी आपूर्ति वोल्टेज 50 केवीए तक लागू होगी चाहे अनुमानित डिजाइन की मांग 50 केवीए से अधिक हो। 50 केवीए से अधिक की

मांग के लिये, एचटी आपूर्ति वोल्टेज लागू होगा और उपभोक्ता को एचटी कनेक्शन लेना अपेक्षित होगा।"

ए. मूल विनियम के उप-विनियम 7.11 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नानुसार नये परन्तुक को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते यह भी कि यदि उपभोक्ता जिसने समर्पित फीडर की लागत वहन की है, पहले दो वर्षों के दौरान किसी अन्य कनेक्शन को जारी करने के लिये इसका उपयोग करने के लिये एक बार अपनी सहमति देता है, तो समर्पित फीडर को सभी के लिये उपलब्ध व्यवहृत किया जायेगा और आगे कनेक्शन बिना किसी सहमति के जारी किये जा सकेगें।"

5. मूल विनियम के विनियम 8 में संशोधन

अ. मूल विनियम के उप-विनियम 8.2(ग) के नीचे निम्नानुसार नये उप-विनियम 8.2(घ) को जोड़ा जायेगाः

"8.2 (घ) प्रतिभूति के भुगतान की छूट

अनुज्ञप्तिधारी अपने हित की रक्षा के लिये उपयुक्त वचनबद्धता प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी शर्तों के अधीन जो आवश्यक हो, राराविम/सभी विद्युत निगमों के ऐसे कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों को जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, अपने आवासीय उपयोग के लिये प्रतिभूति जमा राशि के भुगतान से छूट दे सकता है।"

6. मूल विनियम के विनियम 9 में संशोधन

अ. मूल विनियम के उप-विनियम 9.1(ख) के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नानुसार नये परन्तुक को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते यह भी कि एचटी उपभोक्ताओं को मासिक किराया भुगतान करने के स्थान पर प्रचलित भंडार निर्गम दर के अनुसार सीटीपीटी सेट की लागत और प्रयोज्य परीक्षण प्रभारों को जमा कराने का भी विकल्प होगा।"

7. मूल विनियम के विनियम 13 में संशोधन

अ. मूल विनियम के उप-विनियम 13.2 (क) के नीचे निम्नानुसार परन्तुक को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते कि एक बार अनुबंध मांग कम हो जाती है और उपभोक्ता दुबारा अपनी अनुबंध मांग में वृद्धि करना चाहता है, तो उपभोक्ता को वर्धित अनुबंध मांग जिसके लिये आवेदन किया गया है, के लिये, जहां भी लागू हो, संयंत्र की लागत का भुगतान करना होगा।"

आ. मूल विनियम के उप-विनियम 13.7 के नीचे निम्नलिखित परन्तुक(परन्तुकों) को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते कि सरकारी विद्यालय के परिसरों के ऊपर से जा रही संकटजनक विद्युत लाइनों के स्थानान्तरण के लिये अनुमानों की 100 प्रतिशत लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि यदि स्थानीय निकायों, रेलवे, रक्षा आदि द्वारा उनके द्वारा विकसित क्षेत्र में विद्यालय लाइन/संयंत्र के स्थानान्तरण के कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो योजना को अनुज्ञप्तिधारी के अधीक्षण अभियंता (प एवं सं) द्वारा अनुज्ञात की जायेगी। तथापि, ऐसी एजेंसियों से पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत की दर से की जायेगी। स्थानान्तरण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसी एजेंसियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र तैयार किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थानान्तरण पूरा हो गया है।

बशर्ते यह भी कि अन्य मामलों में, विद्यमान लाइन/संयत्र के स्थानान्तरण की अनुमति लाइन/संयत्र की पूर्ण लागत जमा कराने पर दी जायेगी।"

8. मूल विनियम की अनुसूची - I में संशोधन

अ. मूल विनियम के अनुसूची I, 1(क) , (पाद टिप्पणी)* के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नानुसार नये परन्तुक को जोड़ा जायेगाः

"बशर्ते यह भी कि जहां घरेलू कनेक्शन के लिये आवेदन के साथ अन्य प्रभारों को भी जमा कराया जाना है, वहां उपरोक्तानुसार आवेदक से अग्रिम राशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।"

आ. मूल विनियम के अनुसूची - I, 2.2(क) की टिप्पणी-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"यदि कनेक्शन विद्यमान एलटी सिस्टम और प्रारम्भ किये जाने वाले नये सब-स्टेशन से व्यवहार्य नहीं है, तो एलटी वितरण मैन्स के विस्तार की आवश्यकता होगी, यह उपभोक्ता से एकल फेज 11 केवी लाइन के मामलें में 150 रूपये प्रति मीटर की दर से और तीन फेज 11 केवी लाइन के मामलें में 225 रूपये प्रति मीटर की दर से वसूल किया जायेगा। तथापि, सब-स्टेशन की आवश्यकता यदि कोई हो, तो लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।"

इ. विद्यमान अनुसूची - I, 2.2(ङ) के नीचे निम्नानुसार अनुसूची I, 2.2(च) को जोड़ा जायेगाः

(च) ऐसे मामले में जहां आवेदक द्वारा विद्युत लाइन/संयंत्र उपलब्ध कराया गया हो

जहां किसी भी श्रेणी में आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र उपलब्ध कराने की आकांक्षा नहीं है परन्तु वह स्वयं ही इन्हें उपलब्ध कराने का चयन करता है, तो उसे ऐसी लाइन और संयंत्र के लिये खर्चों के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय इसके कि ऐसी आपूर्ति करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची- I के अधीन अनुमान के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार की वसूली करने के लिये प्राधिकृत है। अनुज्ञप्तिधारी आवेदक के कार्य का निरीक्षण करेगा और तकनीकी मामलों एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन करेगा।

बशर्ते कि प्रत्येक मामलें में आपूर्ति के बिन्दु तक पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली विनियम 2.1 (53) के अनुसार की जायेगी।

आयोग के आदेश द्वारा

सचिव।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

Jaipur, April 20, 2023

No. RERC/Secy/ Reg. 147- In exercise of the powers conferred by sections 43 to 48, 50, 55 and 56 read with section 181 of the Electricity Act 2003 (Act 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publications, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity supply code and connected matters) Regulation, 2021(hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title, applicability and commencement

a) These regulations shall be called 'The Rajasthan Electricity Regulatory Commission **(Electricity Supply Code and Connected Matters)(First Amendment), Regulations, 2023.**

b) These regulations shall apply to distribution licensees including deemed licensees and consumers in the State.

c) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Amendment in Regulation 4 of the Principal Regulations

A. The Sub Regulation 4.4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"3-Phase LT supply to the installations up to 5 KW and more than 5 KW (not covered in sub-regulation 4.3) shall be admissible in the rural areas subject to extension of non-continuous supply 11 KV mains and installations of independent distribution transformer for release of connection. In such cases, cost of extension of 11 kV line is to be borne by the applicant as per schedule of charges and cost of distribution transformer is to be borne by licensee. However, all consumers other than Agriculture connection, eligible for LT supply not covered under sub-regulation 4.3 can be given supply through continuous supply 11 KV feeders on payment of entire cost of 11 kV line and transformer and other charges as per Schedule of Charges (Schedule-I).

Provided that in rural areas for 3-Phase 24 Hrs. supply, metering is to be provided as per Regulation 4.1 'Applicable supply voltage".

B. The Sub Regulation 4.5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"4.5"Option of single phase connection upto 20KW

Option of single phase LT supply for connection above 5kW and up to 10 KW connected load shall be available to all categories except Agriculture category in the rural areas where continuous 3 phase supply is not available subject to extension of 11 KV line (if required) and installation of independent single phase distribution transformer for release of such connection and by recovery of entire cost of 11 kV line, single phase transformer and other charges as per Schedule of Charges (Schedule-I).

Provided that for installation of Mobile Towers, single phase LT supply above 5kW and up to 20 KW connected load shall be available."

C. Following Proviso shall be added below sub regulation 4.6 of the Principal Regulations as under:

"Provided that for new PHED connections, on request, 33 kV supply may be allowed even below 500 kVA contract demand".

3. Amendment in Regulation 6 of the Principal Regulations

A. A new sub regulation 6.1(e) shall be added below 6.1(d) as under:

"6.1(e) More than one industrial/non-domestic connection in the same premises and in the same name shall not be allowed. More than one connections can only be allowed if these are physically & electrically separated".

B. The Sub Regulation 6.12(b) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Conversion of category from higher tariff category to lower tariff category or vice versa shall be allowed".

4. Amendment in Regulation 7 of the Principal Regulations

A. A proviso shall be added below sub regulation 7.4(a) of the Principal Regulations as under:

"Provided that in case distance is less than 2 kms, for release of single phase connection, length for extension of LT line shall be limited to 500 mtr (Radial distance from existing transformer) and charges for extension of distribution mains/ supply line for LT supply consumers be recovered as per Schedule-I, 2.2(a)Note (1). Where the applicant is situated beyond 500 Mtr, 11 kV line shall be extended and connection shall be given by installing new distribution transformer. The cost of 11kV line as per Schedule-I shall be borne by the applicant and cost of distribution transformer, in both the cases, shall be borne by the licensee."

B. A new note No.4 shall be added below existing note No. 3 of Sub Regulation 7.5(i) as under:

"Note-4 "In case of multi-storeyed buildings/ flats are constructed on the plots on which initially lesser load was considered as no multi-storeyed buildings/flats were considered eventhough their estimated designed demand is less than 50 kVA, where flatted development is made and individual flats/floors are being sold to multiple entities and more than one connection is required, then such connection shall be released by recovering charges on floor area basis as per Schedule-I, 2.2 (e). In case estimated design demand of newly constructed building is more than 50KVA then the connection shall be released as per Note -3 above".

C. Following Proviso(s) shall be added below sub regulation 7.5(m)(xv) of the Principal Regulations as under:

"Provided that in case of extension of lines beyond RIICO Industrial area, the extension of LT line beyond industrial area shall not be made but in case industrial connection adjacent to industrial area if technically feasible from the existing line the same may be released by cable service line only limited to 30 meter length.

Provided further that in case of extension of lines beyond RIICO Industrial area, in case the proposed industrial/Non-domestic loads are existing in the rural areas outside limit of RIICO Industrial area the 11 kV line existing in the Industrial Area may be extended, subject to technical feasibility up to the limits of 1 km from the periphery of the RIICO Industrial area for catering the Industrial/ Non-domestic load. If extension of 11 kV line is required more than 1km then separate feeder from 33/11 kV sub-station feeding the industrial area shall be laid. Such connection shall be released as per applicable supply voltage as prescribed in Regulation 4.1. Cost of providing line and Sub-station shall be borne by the consumer".

D. The heading of the Sub Regulation 7.6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Supply to the housing colonies/township/private Industrial area developed by developer but developer is not willing to commence/complete the electrification work."

E. A Proviso shall be added below sub regulation 7.6(c) of the Principal Regulations as under:

"Provided that in case of Private Industrial area where developer is not willing to commence/complete the electrification work, the connection to individual occupant may be released after recovering pro-rata cost of electrification on actual basis. Charges on pro-rata basis based on area of the plot shall be reviewed by the licensee with revision in schedule of charges by the Commission".

F. The Sub Regulation 7.7(a) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"7.7(a) If only one connection is required, LT supply voltage shall be applicable up to a demand of 50 KVA even if the estimated designed demand is more than 50 kVA. For demand exceeding 50 KVA, HT supply voltage shall be applicable and consumer shall be required to take HT connection".

G. A new proviso shall be added below existing proviso in sub regulation 7.11 of the Principal Regulations as under:

"Provided further that if the consumer who has borne the cost of the dedicated feeder once gives his consent during first two years for using it for releasing any other connection, then the dedicated feeder shall be treated as open to all and further connections can be released without any consent".

5. Amendment in Regulation 8 of the Principal Regulations

A. A new sub regulation 8.2(d) shall be added below sub regulation 8.2(c) of the Principal Regulations as under:

8.2(d) "Exemption from payment of Security

The licensee may exempt from payment of Security Deposit to the employees/ex-employees of RSEB/all the Vidyut Nigams who have completed five (5) years of service for their residential use, after obtaining suitable undertaking to safeguard its interest and subject to such conditions as may be necessary".

6. Amendment in Regulation 9 of the Principal Regulations

A. A new proviso shall be added below existing proviso in sub regulation 9.1(b) of the Principal Regulations as under:

"Provided further that HT consumers shall have an option of depositing the cost of CTPT set as per prevailing Store Issue Rate plus applicable testing charges, instead of paying the monthly rent".

7. Amendment in Regulation 13 of the Principal Regulations

A. A proviso shall be added below sub regulation 13.2(a) of the Principal Regulations as under:

"Provided that once the contract demand is decreased and the consumer again wishes to increase his contract demand, the consumer shall have to pay the plant cost, wherever applicable, for increased contract demand applied for".

B. Following Proviso(s) shall be added below sub regulation 13.7 of the Principal Regulations as under:

"Provided that 100% cost of estimate for shifting of hazardous lines passing over Govt. school premises shall be borne by the licensee.

Provided further that In case the work of shifting of existing line/plant is permitted to be done by Local Bodies, Railways, Defense, etc. in the areas developed by them, the scheme shall be allowed by the concerned Superintending Engineer (O&M) of the licensee. However, the supervision charges @5% of the estimated cost shall be recovered from such agencies. After completion of shifting work, joint inspection certificate shall be prepared by authorized representative of such agencies and licensee's

representative certifying that shifting has been completed as per prescribed norms of the licensee.

Provided also that in other cases shifting of existing line/plant will be allowed on deposit of full cost of line/plant".

8. Amendment in Schedule-I of the Principal Regulations

A. A new proviso shall be added below existing proviso of Schedule-I,1 (a),(foot note)* of the Principal Regulations as under:

"Provided further that where other charges are to be deposited with application for domestic connections, advance amount as above is not required to be charged from the applicant".

B. The Note-1 of schedule-I, 2.2(a) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"If the connection is not feasible from existing LT system and new sub-station is to be commissioned then extension of HT distribution mains required, it shall be recovered from the consumer@ Rs. 150/meter in case of single phase 11kV line and @ Rs. 225/meter in case of three phase 11kV line . However, the cost of sub-station required, if any shall be borne by the Licensee".

C. The Schedule-I, 2.2(f) shall be added below existing Schedule-I, 2.2(e) as under:

"(f). In case where electric line /plant is provided by applicant

Where the applicant in any category does not require the licensee to provide electric line or electric plant but chooses

to provide them himself, he shall not be required to pay expenses for such line and plant except the supervision charges @ 5% of the estimate, the licensee is authorized to recover under the schedule-I for providing such supply. The licensee shall supervise the work of the applicant and provide guidance in technical matters and matters relating to safety.

Provided that in each case supervision charges are to be recovered up to point of supply as per regulation 2.1(53)."

By Order of the Commission,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।